न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—रामकिशोर मीना

अपील संख्या— 13/24

तारीख रज्जू—16/04/24

1 सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी गोट्या का पुरा तहसील नादौती।
2 माया पुत्री रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी गोट्या का पुरा तहसील नादौती।
3 राजकुमार पुत्र रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी गोट्या का पुरा तहसील नादौती।
4 सुनीता पुत्र रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी गोट्या का पुरा तहसील नादौती।
5 सुशीला पुत्री रामेश्वर ब्राहम्ण निवासी गोट्या का पुरा तहसील नादौती।

——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) तहसील नादौती जिला गंगापुर सिटी।
2. प्यारेलाल शर्मा पुत्र प्रभूलाल शर्मा निवासी रावताड़ा (गुढ़ाचन्द्र जी) तहसील नादौती।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक— 12.12.2024

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नादौती के आदेश कमांक एल0आर0/2024/1063 दिनांक 21.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार तहसीलदार नादौती ने ग्राम रघुनाथपुरा के नामान्तकरण संख्या 171 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2024 को रिव्यू किया जाकर निरस्त किया है, साथ ही अपीलान्ट ने उक्त आदेश दिनांक 21.03.2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपील में वर्णित आराजी का विरासत नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 29.02.2024 को विधि अनुरूप जांच पड़ताल कर रेस्पो0 सं0 1 के यहां तस्दीक हुआ था, लेकिन रेस्पोडेन्टस ने आपस में साज कर रेस्पों0सं0 2 उक्त भूमि के सहखातेदार ने रेस्पों0 सं0 1 के यहां अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि हडपने की गरज से दिनांक 18.03.2024 को अपीलान्ट का उक्त नामान्तकरण निरस्त कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रेस्पों0 सं0 1 ने पटवारी हल्का गुढाचन्द्रजी से रिपोर्ट तलब कर प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण सं0 171 दिनांक 21.03.2024 को उप जिला कलक्टर हिण्डौन सिटी मु0नं0 11/2008 का स्थगन आदेश मानते हुए मिन अपीलान्ट को बिना सुने ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 85 (क) एवं 86 की उप धारा (2) के तहत रिव्यू करते हुए निरस्त फरमा दिया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए पारित किया गया निर्णय [illegible] योग्य है।

भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 (2) [illegible] में स्पष्ट अंकित है कि किसी भी आदेश ने तब तक फेरफार [illegible] उसे उलटा नही जायगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपस्थित होने और [illegible] में सुने का पक्षकारों का नोटिस नहीं दे दिया [illegible] में स्पष्ट प्रोविजन होने के वाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। जो बिल्कुल नसौर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण तहसीलदार नादौती के आदेश दिनांक 21.03.2024, निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने भी एक प्रार्थना पत्र रेस्पों0सं0 2 व उसके भाई मुशी गोपाल तथा अन्य व्यक्ति मुकेश ,शैलेस,दिनेश,राजेश, राकेश, बृजेश व मुन्नो देवी के नामान्तकरण सं0 39 दिनांक 06.05.2024 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया क्योंकि जिस स्थगन आदेश (11/2008) का हवाला देते हुए अपीलान्ट का नामान्तकरण तहसीलदार नादौती द्वारा रिव्यू कर निरस्त किया गया तो उक्त स्थगन आदेश रेस्पों0 सं0 2 व अन्य सहखातेदार के पक्ष में नामान्तकरण सं0 39 दिनांक 06.05.2014 तस्दीक हुआ, उस समय भी उक्त स्थगन आदेश प्रभावी था।

जिस स्थगन आदेश का हवाला देते हुये तहसीलदार नौदाती ने प्रार्थी का नामान्तकरण निरस्त किया है उस प्रकरण में अपीलान्ट कोई पक्षकार नहीं है उक्त प्रकरण के बारे में अपीलान्ट को तत्समय कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रकरण मुकेश बनाम कान्जी वगै0 मु0नं0 11/2008 में रेस्पोडेन्ट सं0 2 स्वयं पक्षकार वादी हैं उसको उक्त स्थगन आदेश का पूर्णरूप से ज्ञान होते हुए भी दौराने स्थगन आदेश सुदामा पुत्र बालाप्रसाद से उक्त आराजी के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.04.2014 को क्रय कर दिनांक 06.05.2014 को स्वयं के व अन्य क्रताओं के हक में नामान्तकरण सं0 39 दिनांक 06.05.2014 तस्दीक करवाया, साथ ही वकील अपीलार्थी ने उक्त आदेश 21.03.2024 निरस्त फरमाते हुए नामान्तकरण सं0 171 दिनांक 28.02.2024 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं0 2 को सुनवाई का मौका दिये बिना तस्दीक किया गया था। जिसकी वास्तविक स्थिती रेस्पों सं0 2 द्वारा अवगत कराने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश दिनांक 21.03.2024 निरस्त किया गया ,जो सही एवं न्यायोचित है। अपीलार्थी ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण सं0 171 अपने आपको जगदीश पुत्र भौरया ब्राहम्ण का वारिस बताते हुए गलत तरीके से खुलवाया था , जबकि अपीलार्थीगण उक्त जगदीश पुत्र भौरया ब्राहम्ण के किसी तरह से वारिसान नहीं है। अपीलार्थी ने जो सजरा पेश किया है वह भी गलत व फर्जीयत पूर्ण है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के आदेश दिनांक 21.03.2024 के विरूद्ध उक्त अपील जिन आधारों पर पेश की गयी है उनमें एक आधार तो यह बताया है कि उक्त नामान्तकरण के बाद जगदीश के हिस्से की आराजीयात की खातेदारी अपीलार्थी के नाम होकर उन्होने काश्त शुरू कर दी, दूसरा आधार यह बताया है कि उक्त नामान्तकरण के समय उक्त आराजी की जमाबन्दी पर स्टे का नोट लगा हुआ नहीं था इस कारण नामान्तकरण सही खुला है, तीसरा आधार यह लिया है कि पटवारी हल्का द्वारा जांच कर सही रिपोर्ट कर नामान्तकरण भरा गया था, चौथा आधार यह लिया गया है कि मृत व्यक्ति के नाम खातेदारी आदेश नहीं दिये जा सकते, पंाचवा आधार यह लिया है कि रिव्यू करते समय हमें नोटिस नही दिया, सुनवाई का मौका नहीं दिया और छटवां आधार यह लिया है कि नामान्तकरण निरस्त करने की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा भेदभाव पूर्ण तरीके से की गयी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में लिये गये छहो आधार गलत एवं निराधार है।

नामान्तकरण यदि गलत तरीके से किया जाकर खुला है तो उक्त नामान्तकरण निरस्ती के साथ ही गलत तरीके से लगी हुई खातेदारी भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उक्त जगदीश के हिस्से की आराजी पर अपीलार्थी का आज तक किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। बल्कि प्रत्यर्थी सं0 2 व उसके अन्य परिजनों का ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण के हक में नामान्तकरण सं0 171 की कार्यवाही करते समय जमाबन्दी पर स्टे का नोट नहीं लगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2024.06.21 18:02:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

हो ऐसा लिखना भी गलत है। क्योंकि उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा तहसील में उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करते हुए उक्त स्थगन आदेश की जानकारी उन्हे स्वतः ही हो जाती। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 85 (क) व धारा 86 की उपधारा 2 के अनुसार यदि कोई नामान्तकरण की कार्यवाही गलत तरीके से की जाती है तो भू–राजस्व अधिकारी को यह अधिकार है कि उक्त गलती की जानकारी होने पर वह अपने आदेश की रिव्यू कर सकता है। जो नामान्तकरण सं0 39 खोला गया था वह तो माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश हिण्डौन सिटी में चले प्रकरण दावा सं0 86/2011 (07/2009) (26/2010) धनवानी मुंशी वगै0 बनाम सुदामा वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2014 की पालना में खोला गया नामान्तकरण है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 सिविल न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश रेस्पों0 सं0 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2024 को इस आशय का प्रस्तुत करने पर कि प्रार्थी की भूमि के संबंध में मुकदमा नं0 11/2008 व नया मु0नं0 23/2010 में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तथा उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया जा चुका है तथा पटवारी द्वारा द्वारा विवादित नामान्तकरण के संबंध में रिव्यू किये जाने हेतु निवेदन करने पर उक्त आदेश दिनांक 21.03.2024 पारित करना पाया गया। उक्त स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया। स्थगन आदेश के अनुसार गैरसायल को अग्रिम आदेश तक के लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द किया गया है कि गैरसायल आराजी ख0नं0 4808, 4809,4811 ता 4814, 4827 तथा 4829 , 4831 ता 4837 व 4840 , 4841 कुल किता 18 रकबा 10.51 है0 स्थित ग्राम गुढाचन्द्र जी तहसील नादौती के रिकोर्ड व मौके स्थिति विधिवत तकास्मा से पूर्व यथावत बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया है। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त मु0नं0 11/2008 में रेस्पोडेन्ट सं0 2 स्वयं पक्षकार वादी है। उसको उक्त स्थगन आदेश का पूर्णरूप से ज्ञान होते हुए भी दौराने स्थगन आदेश सुदामा पुत्र वालाप्रसाद से उक्त आराजी रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.04.2014 को कय कर दिनांक 06.05.2014 को स्वयं के व अन्य खरीददारों के हक में नामान्तकरण सं0 39 दिनांक 06.05.2014 तस्दीक करवाया गया है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 (2) परन्तु (1) में स्पष्ट अंकित है कि हितबद्ध पक्षकरों को सुनना आवश्यक है। उक्त कम में वकील रेस्पोडेन्ट दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त नामान्तकरण सं0 39 दिनांक 06.05.2024 सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अर्न्तगत भू–राजस्व अधिकारी को यह अधिकार है कि उक्त गलती की जानकारी होने पर वह अपने आदेश को रिव्यू कर सकता हैं। उक्त कम में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 का अवलोकन किया गया। धारा 86 में ... राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारी या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर अपने द्वारा अथवा अपने पद के पूर्वाधिकारियों द्वारा दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसी आज्ञाये दे सकेगा जिन्हे वह उचित समझें परन्तु शर्तें यह है कि – कोई भी आज्ञा उस समय तक परिवर्तित की या उलटी नहीं जाएगी जब तक कि उसमें हित रखने वाले पक्षकारों की उपस्थित होने का नोटिस न दिया गया हो और ऐसी आज्ञा के समर्थन में उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सुनवाई न कर ली गई हो। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 में हित रखने वाले पक्षकार अपीलान्ट की सुनवाई का अभाव पाया गया है। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस निर्देश के साथ तहसीलदार नादौती को प्रति प्रेषित की जाती है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे तथा उक्त विवादित आराजीयात पर दौराने स्थगन तस्दीक किये गये समस्त नामान्तकरण की पुनः जांच कर विधिपूर्ण निर्णय पारित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 निरस्त किया जाता है तथा अदालत मातहत को उभय पक्षों सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है, साथ ही अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजीयात पर दौराने स्थगन तस्दीक किये गये समस्त नामान्तकरण की पुनः जांच कर विधिपूर्ण निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:26 IST
Reason: SelfAttested